संख्या सा–3–35/दस-07-101(6)-2005

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2007

विषय : पेंशन प्राधिकार-पत्र को निर्गत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जाँच करते समय सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा की अवधि का निर्धारण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समय-समय पर यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि पेंशन प्राधिकार-पत्र को निर्गत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जांच करते समय सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा किस सीमा तक की जाए। इस विषय पर पिछली बार जो शासनादेश संख्या–सा-3-1952/दस-933/89 टी0सी0, दिनांक 05 दिसम्बर, 2001 को जारी किया गया है उसमें निम्नांकित व्यवस्था है :–

> "यदि सरकारी सेवक के अन्तिम 10 माह के पूर्व किसी अवधि में गलत वेतन निर्धारण परिलक्षित होता है, जिसके कारण राज्य सरकार को वित्तीय क्षति हुई है तो राज्य सरकार को वित्तीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से, उस तथ्य की जानकारी उसके कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से करायी जाय और कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने के उपरान्त ही सुसंगत नियमों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जाए।"
>
> "पेंशन प्रकरणों के निस्तारित करते समय शासन के हितों का विशेष ध्यान अवश्य रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन को किसी भी स्थिति में वित्तीय क्षति न हो।"

2–शासन स्तर से निर्गत उपरोक्त आदेशों के आधार पर पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी की केवल सेवा-निवृत्ति के पूर्व के 10 महीनों की परिलब्धियों की ही नहीं, बल्कि सेवा पुस्तिका/अभिलेखों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से लेकर आगे समय-समय पर हुये वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा भी की जा रही है, जिससे पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में विलम्ब होने के अलावा कतिपय अन्य कठिनाइयाँ भी प्रकाश में आयी हैं।

3–अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब आदि को दूर करने के उद्देश्य से कार्य–विधि का सरलीकरण विषय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–2 (ग) का निम्नांकित अंश विशेष रूप से अवलोकनीय है :–

> "इस कार्य में केवल औसत परिलब्धियों के लिये गणितात्मक (Arithmetical) संगणना ही अन्तर्ग्रस्त नहीं है बल्कि परिलब्धियों की सत्यता की जाँच भी करानी होगी। परिलब्धियों की सत्यता स्वभावतः इस बात पर निर्भर करेगी कि इस दस माह की अवधि के आरम्भ होने वाली पहली तारीख को प्राप्त परिलब्धियाँ भी सही हों। परन्तु पहले की परिलब्धियों की सत्यता की जाँच, चाहे पेंशन के कागज, तैयार करने वाले कार्यालय में हो अथवा बाद में पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के

लिये जिम्मेदार कार्यालय में हो, गहरी छान-बीन हेतु काफी पीछे जाने का अवसर नहीं होना चाहिये, कम से कम उतनी जाँच की जानी चाहिये जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। किसी भी स्थिति में उक्त जाँच सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व के 34 महीने की अवधि से अधिक अवधि के सम्बन्ध में करने की आवश्यकता साधारणतया नहीं होनी चाहिये।"

4–शासन के उपरोक्त आदेश अभी तक प्रभावी हैं परन्तु संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2001 में दिये गये निर्देशों को देखते हुये पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी दिनांक 01 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमानों मे वेतन निर्धारण तक की जाँच भी करने लगे हैं, जिससे पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में विलम्ब होता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित आदेश प्रदान किये गये हैं :–

(1) उक्त संदर्भित शासनादेश, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के उपरोक्त प्रावधान के ही अनुसार पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु सेवानिवृत्ति की तारीख से 10 माह पूर्व की परिलब्धियाँ तथा उसके 02 वर्ष पूर्व अर्थात् कुल 34 महीने का रिकार्ड ही देखा जायेगा।

(2) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का किसी कर्मचारी के सेवाकाल में वेतन के निर्धारण में त्रुटि को ठीक कराने का दायित्व उपरोक्त (1) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। वेतन-निर्धारण की त्रुटियों को कर्मचारी के सेवारत रहते हुए ही सामान्य जाँच/आडिट के माध्यम से दूर किये जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय।

5–कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कराने का कष्ट करें, जिससे कि भविष्य में पेंशन स्वीकृत किये जाने में विलम्ब न हो।

भवदीय,

शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–35(1)/दस-07-101(6)-2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4–समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन उ0 प्र0।
5–समस्त कोषाधिकारी उ0 प्र0।
6–समस्त जिलाधिकारी उ0 प्र0।
7–निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षणक संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8–सूचना निदेशक, लखनऊ को प्राचारार्थ।
9–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
10–उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, लखनऊ।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 68 सा0 वित्त–29.1.2007–(7131)–12,000.–(कम्प्यूटर/आफसेट)।